क्रमांक-2

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 16, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रश्न संख्या 14 पर चर्चा के दौरान श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा भोपाल में नर्मदा जल लाने के संबंध में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 72 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के सुल्तानिया जनाना अस्पताल में अव्यवस्था से प्रसूताओं की मृत्यु होने,

(2) श्री पारस सकलेचा "दादा", सदस्य ने रतलाम स्थित राम मंदिर कसारा, उकाला को कसारा समाज को सौंपे जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के शासकीय पशु चिकित्सालय में अव्यवस्था होने,

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर शहर में टोल टैक्स की राशि न्यायालय आदेश के बावजूद न दी जाने,

(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने सतना जिले के हिनोती में नलकूपों पर अवैध कब्जे किए जाने,

(6) श्री रामगरीब कोल, सदस्य ने रीवा के त्योंथर एवं सिरमौर ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में शिक्षकों का अभाव होने तथा

(7) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य ने भिण्ड जिले के फूंफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. अध्यक्षीय घोषणा

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा माननीय सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की महत्वपूर्ण सूचनाओं पर चर्चा कराने की मांग की गई। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि सिंगरौली की घटना पर कल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराई जाएगी तथा माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि उनकी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं पर चर्चा के संबंध में गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, विधि और विधायी कार्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पटल पर रखा।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार, ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखीं :-

(क) क्रमांक 905-मप्रविनिआ-2009, दिनांक 30 अप्रैल, 2009,

(ख) क्रमांक 906-मप्रविनिआ-2009, दिनांक 30 अप्रैल, 2009 तथा

(ग) क्रमांक 921/मप्रविनिआ/2009, दिनांक 1 मई, 2009,

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखीं :-

(क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 56 सन् 2000) की धारा 68 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-20-08-छब्बीस-2, दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 तथा

(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 73 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार, सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-77-08-छब्बीस-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने :-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का इक्यावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 (दिनांक 1.4.2007 से 31.3.2008 तक) तथा वर्ष 2007-2008 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 पटल पर रखे।

6. मार्च, 2009 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने मार्च, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांक के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन मार्च, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि त्रयोदश विधान सभा के विगत सत्र में पारित मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) - (अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2009), मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2009) - (अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2009) तथा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) - (अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2009) को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 2009 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

"

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक, 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009)	30 मिनट
3.	प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, शांतिलाल धवाई, सुखदेव पांसे, डॉ. प्रभुराम चौधरी तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा।	1 घण्टा 30 मिनट

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि दिनांक 10 जुलाई, 2009 को वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक का उपस्थापन प्रातः 10.30 बजे किया जाये। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा।

दिनांक 15 जुलाई से 22 जुलाई, 2009 तक सदन की बैठकों के दौरान भोजन अवकाश नहीं होगा तथा सदन की बैठकें सायं 7.00 बजे तक चलेंगी।"

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र में खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री पारस सकलेचा "दादा", सदस्य ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर भारी फीस की वसूली किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 120-तेंदूखेड़ा से निर्वाचित सदस्य श्री राव उदय प्रताप सिंह तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 170- सोनकच्छ (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा विधान सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है जिन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा क्रमशः 28 मई एवं 16 मई 2009 को स्वीकृत किया गया है।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(2) श्री सरताज सिंह
(3) श्री केदारनाथ शुक्ला
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन ने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) को पुरःस्थापित किया।

(2) उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने आज सदन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त की है अतः वे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 का सदन की अनुमति से पुरःस्थापन अगली तिथि में करेंगी।

14. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2009-2010 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

"1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार दिनांक 9 जुलाई, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009 को अपराह्न 2.00 बजे से होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

17. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, के प्रबन्ध मण्डल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस संबंध में निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

"1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार दिनांक 9 जुलाई, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009 को अपराह्न 2.00 बजे से होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

18. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, शांतिलाल धबाई, सुखदेव पांसे, डॉ. प्रभुराम चौधरी तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री सुखदेव पांसे

(3) डॉ. प्रभुराम चौधरी **(भाषण अपूर्ण)**

(अपराह्न 1.02 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(5) श्री विश्वास सारंग

(6) श्री ओंकार सिंह मरकाम

(7) श्री रामलखन सिंह

(8) डॉ. कल्पना परूलेकर

(9) श्री रामनिवास रावत

(10) श्री राधेलाल बघेल

(11) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

(12) श्री रणजीत सिंह गुणवान

(13) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(14) श्री पारस सकलेचा "दादा"

(15) श्री राजकुमार उरमलिया

(16) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 17, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.